बिहार पशु चिकित्सा संघ

मुख्यालय–विद्यापति मार्ग, पटना–800001

E-mail: bvapatna@gmail.com

Regd. No. S000011 / 2021-22

BIHAR VETERINARY ASSOCIATION

डॉ0 कमलेश प्रसाद सिंह
अध्यक्ष
8292792248

डॉ0 सुबोध कुमार
प्रधान महासचिव
9934515107

महासचिव
डॉ॰ दिलीप कुमार
मो॰ 9801881887
उपाध्यक्ष
डॉ॰ विवेक कुमार
मो॰ 7739364535
डॉ॰ संजय कुमार
मो॰ 8271106059
डॉ॰ अंशु कुमार
मो॰ 9572165500
डॉ॰ मिथिलेश कुमार
मो॰ 9308616292
कोषाध्यक्ष
डॉ॰ अतहर इमाम खाँ
मो॰ 7909059123
संगठन सचिव
डॉ॰ उदय कुमार
मो॰ 7808848226
वित्त सचिव
डॉ॰ निरंजन कुमार
मो॰ 9162394546
अंकेक्षक
डॉ॰ पल्लवी सिन्हा
मो॰ 7903649410
तकनीकी सचिव
डॉ॰ मनीष कुमार पाण्डेय
मो॰ 8873406926
प्रचार सचिव
डॉ॰ चंद्रमौलेश कुमार
मो॰ 7677714175
क्षेत्रीय सचिव
डॉ॰ किशोर कुमार झा
मो॰ 8210287410
डॉ॰ अमलेश कुमार यादव
मो॰ 9798879007
डॉ॰ मंजुलिका
मो॰ 7870960112
डॉ॰ करूणा भारती
मो॰ 9905277744
डॉ॰ धीरेन्द्र कुमार
मो॰ 7870697525
डॉ॰ रवि कुमार
मो॰ 9334917231
डॉ॰ प्रभाष कुमार
मो॰ 8340202165
डॉ॰ अमरंजय कुमार
मो॰ 9931997152

पत्रांकः 66 दिनांकः 05.12.2023

सेवा में,

प्रधान सचिव महोदया,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– मानव चिकित्सा सेवा संवर्ग के अनुरुप पशुचिकित्स सेवा संवर्ग को डी0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित तथ्य आपके विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं :–

1. पाँचवें वेतन आयोग के अनुशंसा में मानव चिकित्सक के समरुप पशु चिकित्सक सेवा संवर्ग को रखा गया है।
2. छठे वेतन आयोग ने भी पशुचिकित्सकों की डिग्री एवं योग्यता को मानव चिकित्सक (MBBS) के समतुल्य मानते हुए अपने अनुशंसा में दोनों सेवा संवर्ग को एक समान रखा है।
3. सातवें वेतन आयोग के द्वारा पशुचिकित्सकों को MBBS Doctor के अनुरुप Parity प्रदान करने हेतु Statusco Maintain रखने की अनुशंसा की गयी है।
4. बिहार सरकार द्वारा गठित Fitment Committee ने भी पाँचवें, छठे एवं सातवें वेतन आयोग में अनुशंसित पशुचिकित्सक संवर्ग को मानव चिकित्सक संवर्ग के अनुरुप करने पर किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी अथवा संशोधन नहीं किया है; जिससे यह स्पष्ट है कि पशुचिकित्स सेवा संवर्ग मानवचिकित्सा सेवा संवर्ग के समतुल्य है।
5. गौरतलब है कि बिहार सरकार के द्वारा पूर्व से ही पशुचिकित्सकों को मानवचिकित्सक के अनुरुप लाभ प्रदान किया जाता रहा है। यथा मानव चिकित्सक (MBBS) के तर्ज पर ही पशुचिकित्सकों को 2000 – 3800 वेतनमान के बदले 2200 – 4000 का वेतनमान प्रदान किया गया। मानव चिकित्सक के समान ही पशुचिकित्सा सेवा संवर्ग को बिहार सरकार की प्रीमियम सेवा में रखा गया है। साथ ही, मानव चिकित्सक की भाँति ही पशुचिकित्सकों को NPA का लाभ प्रदान किया गया एवं उसी तर्ज पर NPA के प्रदत्त लाभ को वापस किया गया।

6. MBBS की डिग्री एवं B.V.Sc. & A.H. की डिग्री को समतुल्य रखने का कारण एक समान है क्योंकि मानव चिकित्सक की तरह ही पशु चिकित्सकों की डिग्री प्राप्त करने हेतु Internship एवं VCI से निबंधित होना आवश्यक है।
7. दोनों सेवाएँ चिकित्सा की मुख्य धारा से जुड़ी हुई है तथा दोनों सेवाओं का मूल भाव चिकित्सा करना एवं जीवन रक्षा करना है। जिस प्रकार मानव चिकित्सक Human Resource की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में लगे हुए हैं, उसी तरह पशु चिकित्सक भी पशुधन की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन में पूरी से लगे हुए हैं।
8. विदित हो कि बिहार सरकार के द्वारा Supreme Court में SLP दायर किया गया था (SLP No – 13880 of 2007) जिसमें बिहार सरकार ने Affidavit के माध्यम से Supreme Court को अवगत कराया था कि बिहार में पशु चिकित्सकों के साथ मानव चिकित्सक के समरुप व्यवहार किया जा रहा है।
9. यहाँ यह भी उल्लेखित करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 28.01.2019 को ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के पशुचिकित्सकों को मानव चिकित्सक के समान रखते हुए वेतनादि एवं अन्य सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी, जिसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है।
10. पशुचिकित्सक के द्वारा दी जा रही सेवा किसी भी दृष्टिकोण से मानव चिकित्सक से कम नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में ज्यादा कठिन है क्योंकि पशु चिकित्सक वैसे पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं, जो अपने कष्ट को व्यक्त नही कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सादर अनुरोधपूर्वक आग्रह करना है कि पशुचिकित्सकों को मानव चिकित्सक के अनुरुप डी0ए0सी0पी0 सहित अन्य विभिन्न लाभ प्रदान करने की महत्ती कृपा की जाये ताकि राज्य के पशुचिकित्सकों का मनोबल कायम रहे तथा उनको चिरप्रतीक्षित न्याय मिल सके। इस पुनीत कार्य के लिए राज्य के सभी पशुचिकित्सक महोदया के सदैव आभारी रहेंगे।

विश्वासभाजन

5/12/2023

(डॉ0 सुबोध कुमार)
प्रधान महासचिव